न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/12/2021	2021/216	08-10-2021	24-07-2024

01– कन्हैयालाल पुत्र श्री हरदेवा – मृतक
1/1– बनवारीलाल पुत्र स्व० कन्हैयालाल
1/2–गोविन्दा पुत्र स्व० कन्हैयालाल
1/3–आचकी पत्नि स्व० कन्हैयालाल जातियान गुर्जर निवासीयान गाम झिरी भोपा की ढाणी, तहसील थानागाजी जिला अलवर
1/4–मीरा पुत्री स्व० कन्हैयालाल पत्नि श्री रामबाबू जाति गुर्जर निवासी टहला की ढाणी भोपाला, तहसील राजगढ़ जिला अलवर
02– मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झिरी भोपा की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।

– प्रार्थीगण

बनाम

1– हनुमान पुत्र नानगा, जाति मीणा।
2– भगवाना पुत्र नानगा, जाति मीणा, निवासीयान ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
3– भू आवंटनधविनियमन सलाहकार समिति, थानागाजी, जर्ये उपखण्ड अधिकारी, राजगढ जिला अलवर राज०।

– अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–11–1977

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल – वकील प्रार्थीगण
02–श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

:निर्णय:–

वकील प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम झिरी तह० थानागाजी की आराजी गत आराजी खसरा न0 2892 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा हाल आराजी खसरा न0 2982 रकबा 0.90 है0 भूमि का आंवटन गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नबर 2892 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 2982 रकबा 0.90 है0 बना है, जो ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी के करीब 02 बीघा 10 बिस्वा यानी 60 ऐयर रकबे पर प्रार्थी संख्या एक कन्हैयालाल का कब्जा कदीमी से बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है। यानी करीब 60–70 सालों से चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थी कन्हैयालाल ने अपने रिहायश हेतु 6 कमरे पक्के पूर्णतया बने हुए, 2 कमरे पक्के बने हुए जिन पर टीन की चादर डाली हुई है, 3 कच्चे छप्पर बने हुए हैं और प्रार्थी द्वारा लगाए हुए नीम, कीकर, आरडू, छीला, रौंज, शीशम आदि के करीब 150 पेड पौधे लगा रखे हैं। प्रार्थी कन्हैयालाल ने अपने इन मकानों में 3–4 साल पूर्व बिजली का कनेकशन भी ले रखा है तथा पानी के लिए बोरिंग भी कराया हुआ है, जिसमें प्रार्थी संख्या एक अपने परिवार सहित रिहायश करता आ रहा है तथा पशु मवेशी वगैरह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं बाकी बचे रकबे पर कार्य काश्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

करता चला आ रहा है एवं बाकी 01 बीघा 01 बिस्वा यानि 30 ऐयर प्रार्थी संख्या 2 मूलचंद का उसके बुजुर्ग पिता लक्ष्मण के समय से कब्जा चला आ रहा है यानी पहले लक्ष्मण का कब्जा था तब तक वे जीवित रहे वे काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद मूलचन्द प्रार्थी संख्या 2 काश्त करता चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थी मूलचन्द ने एक कच्चा छप्पर बना रखा है, रहन सहन करता है अपने पशु मवेशी वगैराह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं बाकी रकबे में कार्य काश्त करता है जो प्रार्थी संख्या एक कन्हैयालाल के कब्जे वाली जमीन से तरफ दक्षिण की ओर है। माह जून 2013 को अप्रार्थी संख्या 1–2 ने प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की कोशिश की और कहा कि यह आराजी हमें आवंटित हो गई है इसलिए इस पर से अपना कब्जा हटालो वर्ना तुम्हारे खिलाफ बेदखली की कार्यवाही करेंगे और जबरन बेदखल करके कब्जा करेंगे, तब प्रार्थीगण ने पटवारी हलका से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1–2 को दिनांक 01–11–1977 को आवंटित हो गई है जिस पर प्रार्थीगण ने तहसील थानागाजी में उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल ही नहीं मिली, फिर उसके बाद एस.डी.ओ. कार्यालय थानागाजी में जानकारी कराई तो वहां पर भी फाईल नहीं मिली फिर एस.डी.ओ. अलवर के कार्यालय में फाईल तलाश करवाई और फाइल मिलने पर नकल के लिए प्रार्थनापत्र दिनांक 13–08–2013 को पेश करवाया जिस पर नकल दिनांक 13–08–13 को मिली जिसे वकील को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) आवंटन नियम के तहत कलक्टर साहब को पेश कर करनी पडेगी जिस पर प्रार्थीगण ने खर्चे का इंतजाम किया और यह प्रार्थनापत्र तैयार कराकर आज बिना देरी के पेश किया जा रहा है। आज्ञा भू आवंटन सलाहाकार समिति दिनांक 01–11–1977 न्यायिक प्रकिया, विधि एवं तथ्यों तथा मौके व कब्जे के खिलाफ है। आवंटन कमेटी के आदेश करने से पूर्व उपरोक्त आराजी का सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली गई और मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आवंटन की आज्ञा पारित की गई है तथा वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1–2 को एवं उनके पिता स्व० नानगा को उक्त आवंटन के बाद ना तो उक्त आराजी पर दखल दिया गया और ना ही आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा कब्जा की गई। वैसे भी आराजी मुतनाजा काबिल काश्त रकबा नहीं है, उक्त आराजी उबड़–खाबड़ ऊंची–नीची है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा आज से 60–65 साल पूर्व से निरंतर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1–2 का आज तक विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना कभी भी रहा। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना होता है। जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालन करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह आवंटन निरस्त होने योग्य होता है। अप्रार्थी संख्या 1–2 ने उक्त शर्त की कतई पालना नहीं की है, क्योकि उन्होंने आवंटन के प्रथम साल व द्वितीय साल में क्या आज तक कोई काश्त नहीं की है ना ही उनका कब्जा है। आवंटन अधिकारी ने 1970 के आवंटन नियम 8, 9, 10, 11 की पालना नहीं की है जो कि आवश्यक व अनिवार्य होता है। आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 5 की पालना नहीं की है जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों को सिचिंत व असिंचित दोनों सूची प्रपत्र में तैयार करेगा और एस.डी.ओ. को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी, ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरूद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी में 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी नहीं की, इसलिए भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नहीं की है। उद्घोषणा में 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जावेगी जो खसरा नंबरान का आवंटन किया जाना है उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उद्घोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। इसकी पालना आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है। आवंटन सलाहाकार समिति को प्रार्थीगण का कब्जा पुराना मानते हुए तथा प्रार्थीगण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के होने के कारण प्रार्थीगण के हक में आवंटन/नियमन करना चाहिए था, लेकिन आवंटन सलाहाकार समिति ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान है। उक्त आधारों पर आवंटन/विनियमन आज्ञा दिनांक 01–11–1977 निरस्त होने तथा प्रार्थीगण के हक में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आवंटन / नियमन किए जाने योग्य है। प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भू आवंटन सलाहाकार समिति थानागाजी (अलवर) की आज्ञा दिनांक 01-11-1977 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ला. 2 के पिता नानगा को आराजी खसरा नंबर साबिक 2892 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 2982 रकबा 0.90 है0 बना है, वाके ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. का आवंटन किया गया है, उसे मंसूख (निरस्त) किए जाने वो प्रार्थीगण के हक में उक्त आराजी उनके कब्जे अनुसार विनियमन / आवंटन किए जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र के समर्थन में RRD 1989 Page 23, RRD 1997 Page 193, RRD 2013 (1) Page 192, RBJ 2018 Page 295, RBJ 2020 Page 650 पेश किए हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना-पत्र के जिमन नंबर 01 में केवल इतना स्वीकार है कि आराजी खसरा नंबर 2892 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.90 है0 बना है, ग्राम झिरी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है, शेष जिमन गलत है स्वीकार नहीं। यह गलत है कि जिस आराजी के करीब 02 बीघा 10 बिस्वा यानी 60 ऐयर रकबे पर प्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल का कब्जा कदीमी से बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है यानी करीब 60-70 सालों से चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थी कन्हैयालाल ने अपने रिहायश हेतु 6 कमरे पक्के पूर्णतया बने हुए, 2 कमरे पक्के बने हुए जिन पर टीन की चादर डाली हुई है, 3 कच्चे छप्पर बने हुए हैं और प्रार्थी द्वारा लगाए हुए नीम कीकर आरडू छीला रौंज शीशम आदि के करीब 150 पेड़-पौधे लगा रखे हैं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना भी गलत है कि कन्हैयालाल ने अपने इन मकानों में 3-4 साल पूर्व बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है तथा पानी के लिए बोरिंग भी कराया हुआ है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 अपने परिवार सहित रिहायश करता आ रहा है तथा पशु मवेशी वगैरह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं बाकी बचे रकबे पर कार्य काश्त करता चला आ रहा है एवं बाकी 01 बीघा 01 बिस्वा यानी 30 ऐयर प्रार्थी संख्या 02 मूलचन्द का उसके बुजुर्ग पिता लक्ष्मण के समय से कब्जा चला आ रहा है, यानी पहले लक्ष्मण का कब्जा रहा जब तक वे जीवित रहे वे काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद मूलचन्द प्रार्थी संख्या 02 काश्त करता चला आ रहा है। यह गलत है कि जिसमें प्रार्थी मूलचन्द ने एक कच्चा छप्पर बना रखा है, रहन सहन करता है, अपने पशु-मवेशी वगैरह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है एवं बाकी रकबे में कार्य काश्त करता है जो प्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल के कब्जे वाली जमीन से तरफ दक्षिण की ओर स्थित है, जबकि सही तथ्य इस प्रकार है आराजी के करीब 02 बीघा 10 बिस्वा यानी 60 ऐयर रकबा पर प्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल का कब्जा ना तो रहा है व ना ही है तथा कन्हैयालाल द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करा रखा है। कन्हैयालाल द्वारा अपने रिहायश हेतू 6 कमरे पक्के पूर्णतया बने हुए. 2 कमरे पक्के बने हुए जिन पर टीन की चादर डाली हुई है, 3 कच्चे छप्पर आदि नहीं बना रखे हैं और नीम कीकर आरडू छीला रौंज शीशम आदि के करीब 150 पेड़-पौधे भी नहीं लगा रखे हैं। कन्हैयालाल द्वारा मकानों में 3-4 साल पूर्व बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया गया है तथा पानी के लिए बोरिंग भी नही करवाया है तथा कन्हैयालाल अपने परिवार सहित रिहायश भी नही करता है तथा पशु मवेशी वगैरह भी नही बांधता है तथा किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर रहा है एवं ना ही कार्य काश्त कर रहा है एवं बाकी 01 बीघा 01 बिस्वा यानि 30 ऐयर प्रार्थी संख्या 02 मूलचन्द का उसके बुजुर्ग पिता लक्ष्मण के समय से कब्जा नहीं रहा है तथा आज भी मूलचन्द प्रार्थी संख्या 02 काश्त नहीं है तथा मूलचन्द के द्वारा किसी प्रकार का कच्चा छप्पर नहीं बना रखा है व ना ही वह रहन सहन करता है तथा ना ही अपने पशु मवेशी वगैरह बांधता है तथा किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है एवं कार्य काश्त भी नही करता है तथा वक्त आवंटन दिनांक 01.11.1977 से ही मौके पर नानगा का कब्जा काश्त रहा है नानगा के जीवन काल मे नानगा का कब्जा काश्त रहा है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात हम अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी मौके पर हम अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार ना तो है व ना ही रहा। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 02 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। यह गलत है कि माह जून 2013 को अप्रार्थी संख्या 1-2 ने प्रार्थीगण को कब्जा से बेदखल करने की कोशिश की और कहा कि यह आराजी हमे आवंटित हो गई है इसलिए इस पर से अपना कब्जा हटालो वर्ना तुम्हारे खिलाफ बेदखली की कार्यवाही करेंगे और जबरन बेदखल करके कब्जा करेगे।यह भी गलत है कि तब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उसने बताया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1–2 को दिनांक 01.11.1977 को आवंटित हो गई है जिस पर प्रार्थीगण ने तहसील थानागाजी मे उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल ही नहीं मिली फिर उसके बाद एस.डी.ओ. कार्यालय थानागाजी मे जानकारी कराई तो वहा पर भी फाईल नही मिली फिर एस.डी.ओ. अलवर के कार्यालय में फाईल तलाश करवाई और फाईल मिलने पर नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2013 को पेश करवाया जिस पर नकल दिनांक 13.08.2013 को मिली जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) आवंटन नियम के तहत कलक्टर साहब के पेश कर करनी पडेगी जिस पर प्रार्थीगण ने खर्चे का इंतजाम किया और यह प्रार्थना पत्र तैयार कराकर आज बिना देरी के पेश किया जा रहा है, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि माह जून 2013 को आप्रार्थी संख्या 1–2 ने प्रार्थीगण को कब्जा से बेदखल करने की कोशिश नहीं की, क्योकि उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त उनके पिता स्व० नानगा के समय से ही चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर उनका ही कब्जा काश्त है और उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 01–11–1977 को अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा को हो गई है तथा उक्त आराजी पर नानगा के जीवन काल में उसका कब्जा काश्त रहा है तथा नानगा की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने की तथा तहसील थानागाजी मे उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करने की, एस.डी.ओ. कार्यालय थानागाजी मे जानकारी करने की, एवं एस.डी.ओ. अलवर के कार्यालय में फाईल तलाश करवाने की और फाईल मिलने पर नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 13–08–2013 को पेश करवाया जिस पर नकल दिनांक 13–08–2013 को मिली जिसे वकील साहब को दिखाने की घटना मनगढंत व बनावटी दर्ज की है, क्योंकि प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी वक्त आवंटन से ही है, क्योंकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा का कब्जा काश्त आवंटन के समय से ही है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1–2 मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) आवंटन नियम के तहत कलक्टर साहब के पेश की है वो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अरसा करीब 36 साल बाद प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या व मनगढंत तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 03 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नही। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01–11–1977 न्यायिक प्रक्रिया, विधि तथ्यों तथा मौके व कब्जे के खिलाफ है जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01–11–1977 को न्यायिक प्रक्रिया, विधि तथ्यों तथा मौके व कब्जे के अनुसार ही आवंटन किया गया है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 04 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नही। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आवंटन कमेटी के आदेश जारी करने से पूर्व उपरोक्त आराजी का सर्व साधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली गई अपितु मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आवंटन की आज्ञा पारित की गई है तथा वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे आवंटन कमेटी की आज्ञा वो आवंटन निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी ने आदेश जारी करने से पूर्व उपरोक्त आराजी का सर्वसाधारण को सूचनार्थ नोटिस जारी किया गया तथा मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेकर नियमानुसार आवंटन की आज्ञा पारित की गई है तथा वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली थी और कानूनन व विधि सम्मत तरीके से आराजी का आवंटन किया गया है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 05 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1–2 को एवं उनके पिता स्व० नानगा को उक्त आवंटन के बाद ना तो उक्त आराजी पर दखल दिया गया और ना ही अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा काश्त की गई। वैसे भी आराजी मुतनाजा काबिल काश्त रकबा नहीं है उक्त आराजी उबड खाबड ऊची नीची है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा आज से 60–65 साल पूर्व से निरंतर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1–2 का आज तक विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा करश्त नहीं है और ना कभी रही। ऐसी स्थित मे भी भू आवंटन सलाहकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजी पर आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा को उक्त आराजी पर मौके पर दखल दिया गया तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अपने जीवन काल मे नानगा ही उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता था तथा उसके साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 1–2 भी काश्त करते थे एवं नानगा के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1–2 मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा काबिल काश्त है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1–2 काबिज रहकर काश्त रहे हैं तथा उक्त आराजी उबड खाबड ऊची नीची नही है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता स्व० नानगा का पूर्व कब्जा था तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1–2 कब्जा काश्त है प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है व ना रहा है। भू आवंटन सलाहकार समिति का आदेश सही, विधि सम्मत व कानूनन है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 06 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल मे काश्त करना होता है। जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालन करना होता है। प्रार्थीगण का यह अंकित करना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1–2 ने उक्त शर्त की कतई पालना नही की है क्योंकि उन्होने आवंटन के प्रथम साल में व द्वितीय साल में क्या आज तक कोई काश्त नहीं की है ना ही उनका कब्जा है। इसलिए ऐसा आवंटन कानूनन निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) नियम 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना होता है। जिस शर्त का आवंटी द्वारा बखूबी पालन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा द्वारा उक्त शर्त की पालना की है तथा उक्त आवंटित आराजी पर काबिज रहकर काश्त की गयी है एवं नानगा की मुत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा उक्त आवंटित आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं जिस कारण अप्रार्थी के पिता स्व० नानगा व अप्रार्थी संख्या 1–2 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) नियम 14 (3) की पालना की गयी है तथा आज भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 07 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आवंटन अधिकारी ने आवंटन नियम 8, 9, 10,11 की पालना नहीं की है जो कि आवश्यक व अनिवार्य होता है ऐसी स्थित मे भी उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी द्वारा भू आवंटन नियम 8, 9, 10, 11 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की है इसलिए आवंटन आदेश अपास्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 08 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 05 की पालना नहीं की है जिसके अन्तर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों को सिंचित व असिंचित दोनों सूची प्रपत्र में तैयार करेगा और एस.डी.ओ. को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरिक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरूद्ध और अपास्त किये जाने योग्य है। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 05 के प्राधानो की पूर्णतया पालना की है जिसके अन्तर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियों को सिंचित व असिंचित दोनों सूची प्रपत्र मे तैयार कर एस.डी.ओ. को प्रस्तुत करेगा जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय मे निरिक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है। इस कारण आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि सम्मत, कानूनी और नियमानुसार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 09 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आवंटन कमेटी मे नियम 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी नहीं की। इसलिए भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी ने नियम 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी की गई तथा भू आवंटन कमेटी द्वारा नियमों की पूर्णतया पालना की है इसलिए आज्ञा भू आवंटन कमेटी निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 10 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। यह गलत है कि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नहीं की है। उद्घोषणा में 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित मे जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जारी की जावेगी जो खसरा नम्बरान का आवंटन किया जाना है उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उद्घोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। इसकी पालना आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है। ऐसी सूरत मे भी आवंटन कमेटी की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7(2) के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की गई है। उद्घोषणा मे 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित में की गई जो खसरा नम्बरान का आवंटन किया गया। उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया गया तथा लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की। इस प्रकार भू आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7(2) के प्रावधानों की पूर्णतया पालना आवंटन कमेटी द्वारा गई है। ऐसी सूरत मे आवंटन कमेटी की आज्ञा निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 11 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि आवंटन सलाहकार समिति को प्रार्थीगण का कब्जा पुराना मानते हुए तथा प्रार्थीगण अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.) के होने के कारण प्रार्थीगण के हक मे आवंटन/नियमन करना चाहिए था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान है। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति ने भूमीहीन श्रेणी का होने के कारण अनुसूचित जनजाति का होने के कारण नानगा को उक्त आराजी का आवंटन नानगा के हक में आवंटन किया गया है जिस कारण आवंटन सलाहकार समिति का आदेश निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 12 जिस तरह बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह अंकित करना गलत है कि उक्त आधारों पर आवंटन/विनियमन आज्ञा दिनांक 01–11–1977 निरस्त होने तथा प्रार्थीगण के हक मे आवंटन/नियमन किए जाने योग्य है। बल्कि, सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आधारों पर आवंटन आज्ञा दिनांक 01–11–1977 निरस्त होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त है तथा इससे पूर्व उनके पिता स्व. नानगा का कब्जा काश्त था तथा आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से उपरोक्त आराजी का आवंटन किया है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 13 कानूनी है जो काबिल गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 14 कोर्ट फीस से सम्बन्धित है जो काबिल गौर श्रीमान है। जिमन नम्बर 15 गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। भू आवंटन सलाहकार समिति थानागाजी (अलवर) की आज्ञा दिनांक 01–11–1977 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा को आराजी साबिक खसरा नम्बर 2892 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.90 है0 कायम हुए है, वाके ग्राम झिरी तहसील थानागाती जिला अलवर का आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत तरीके पर किया गया है। जिस कारण भी अप्रार्थी संख्या 1–2 का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त आवंटित आराजी पर नानगा के जीवन काल में नानगा काबिज रहकर काश्त करता था जिसके साथ उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1–2 भी काश्त करते थे तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1–2 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त है। जिस कारण भी अप्रार्थी संख्या 1–2 का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आवंटित आराजी से कभी कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार ना तो रहा है व ना ही है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1–2 का कब्जा काश्त है। जिस कारण भी अप्रार्थी संख्या 1–2 का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1–2 के पिता नानगा अनुसूचित जनजाति का भूमिहीन श्रेणी का व्यक्ति है। जिस कारण उपरोक्त आराजी नानगा को आवंटित हुई थी तथा मौके पर दखल दिया गया एवं अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के साथ काबिज रहकर काश्त करता था तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1–2 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। जिस कारण भी अप्रार्थी संख्या 1–2 का आवंटन निरस्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन यह किया है कि विवादित आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नही होने तथा मौका जॉच किये बिना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी आवटित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भू0–विनियमन पंजीका का अवलोकन किया गया जिसमे ऐसा कोई दस्तावेज नही पाया गया जिससे यह दर्शित होता हो कि आवंटन कमेटी द्वारा उक्त विवादित आराजी आवंटित करने से पूर्व सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी किया हो या मौका रिपोर्ट मंगवाई गई हो। अप्रार्थीगण के पिता को मौके पर दखल देने का कोई प्रमाण तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर उद्घोषणा जारी कर चस्पा करने का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही पाया गया जबकि प्रार्थीगण द्वारा विधुत बिल, मौका कमिश्नर एडवोकेट महेश कुमार शर्मा द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2014 पेश किये गये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के, बिना उद्घोषणा के अप्रार्थीगण के पिता को उक्त विवादित आराजी आवंटित की गई है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमों के आलोक में मौका–कब्जा की जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)